

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

प्रा.पत्र संख्या
12/41/2025

रजि० नम्बर
2025/291

प्रवेश तिथि
04.06.2025

निर्णय दिनांक
16.01.2026

—उनवान—

- सरकार जरिये कृषि अधिकारी (पौ०सं०) एवं निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर (राज०)

—प्रार्थी

बनाम

- मैसर्स M/S KSJN CHEMICALS PVT. LTD. A-321(B) MIA ALWAR प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति महाजन पता एम.आई.ए., अलवर राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित:—

- श्री संदीप कुमार शर्मा, कृषि अधिकारी
- श्री मुनीराम यादव

—विभागीय प्रतिनिधि
—वकील अप्रार्थी



प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित जब्त यूरिया उर्वरक मात्रा 40X50 kg को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.05.2025 को कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक 3670-72 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा एम.आई.ए. अलवर में फर्म/कम्पनी मैसर्स M/S KSJN CHEMICALS PVT. LTD. A-321(B) MIA ALWAR का शिकायत के आधार पर निरीक्षण कर कम्पनी में सन्देहजनक नीम कोटेड यूरिया पाये जाने पर टीम द्वारा उक्त औद्योगिक प्रयोग यूरिया जिसको मैसर्स M/S KSJN CHEMICALS PVT. LTD. द्वारा HICS Tradex LLP, 105/A, 1st Floor, 21 Century Plaza, DDA Community Center, Sector-8, Rohini, Delhi के बिल से खरीदा गया (प्रति संलग्न) जो कि मानक स्टैंडर्ड जिसमें उत्पादन एवं विपणनकर्ता को कोई विवरण अंकन नहीं होने के कारण उक्त नीम कोटेड यूरिया को सन्देहजनक माना जाकर नमूना आहरित किया गया। जिसका नमूना कोड DPD/F/2025-26/001 है। जिसका नमूना राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला को भिजवाया जा रहा है।

टीम के सदस्य श्री जितेन्द्र फौजदार कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर एवं श्रीमती रेखा योगी, कृषि अधिकारी (पौ०सं०) एवं निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर द्वारा दिनांक 26.05.2025 को लगभग दोपहर 12:15 बजे मौके पर जाकर उक्त सन्देहजनक नीम कोटेड यूरिया की जब्ती मात्रा (40X50 kg) हेतु टीम के सदस्यों के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई। फर्म के प्रतिनिधि से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के ही परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। फर्म के प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति महाजन पता एम.आई.ए. अलवर, (राजस्थान) को सुपुर्दगी देकर रसीद प्राप्त की गई।

आ. संकेत जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर राज०

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1965 के क्लोज 19, 21 एवं 25 के तहत उक्त संदेहजनक नीम कोटेड यूरिया की दिनांक 26.05.2025 को जब्ती की गई। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्त उर्वरक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि टीम के सदस्य श्री संदीप कुमार शर्मा उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अलवर एवं श्री जितेंद्र फौजदार कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर एवं श्रीमती रेखा योगी, कृषि अधिकारी (पौ0सं0) एवं निरीक्षक बीज/उर्वरक/कीटनाशी एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अलवर द्वारा दिनांक 26-05-2025 को लगभग दोपहर 12:15 बजे मौके पर नीम कोटेड यूरिया 40 कटटे प्रत्येक कटटा 50 किलो ग्राम जब्त कर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई। तथा फर्म के प्रतिनिधि से चर्चा कर अस्थाई रूप से फर्म के ही परिसर में ही कम्पनी की अभिरक्षा में रखवाया गया। फर्म के प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति महाजन पता एम.आई.ए. अलवर राजस्थान को सुपुर्दगी पर देकर रसीद प्राप्त की गई। जब्तशुदा यूरिया की टैक्निकल ग्रेड यूरिया सस्पेक्टेड नीम कोटेड यूरिया का नमूना दिनांक 26-05-2025 नमूना कोड संख्या DPD/F/2025-26/001 राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 700-702 दिनांक 11-06-2025 द्वारा मानक पाया गया, जिसमें नीम ऑयल कन्टेन्ट की मात्रा शून्य पायी गई हैं। यूरिया की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं। उक्त जब्तशुदा यूरिया की परीक्षण रिपोर्ट आ चुकी हैं। जिस परीक्षण रिपोर्ट से साबित हैं, कि उक्त जब्तशुदा यूरिया " नीम ऑयल कन्टेन्ट" नहीं पाया गया हैं।

अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावें तथा कार्यवाही नोटिस समाप्त की जावें। तथा उक्त जब्तशुदा यूरिया कटटों के उपयोग उपभोग करने की आज्ञा हेतु कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजस्थान को उचित आदेश/निर्देश पारित किए जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्ष पर चिन्तन-मनन किया। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा मैसर्स M/S KSJN CHEMICALS PVT. LTD. A-321(B) MIA ALWAR के परिसर से 40 बोरी (प्रत्येक 50 कि.ग्रा.) नीम कोटेड यूरिया संदेह के आधार पर जब्त की गई है। जिस पर संदेह था कि यह औद्योगिक उपयोग हेतु रखी गई थी और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अप्रार्थी M/S KSJN CHEMICALS PVT. LTD. A-321(B) MIA ALWAR के प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार द्वारा जवाब दायर किया गया, जिसमें कहा गया है कि जब्त यूरिया का राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर से परीक्षण कराया गया, और रिपोर्ट में नीम ऑयल कंटेंट शून्य है, अर्थात् यह साधारण तकनीकी ग्रेड यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया नहीं। इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट परीक्षण रिपोर्ट संख्या: 700-702 दिनांक 11.06.2025, स्टेट फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब, अजमेर का अवलोकन किया गया। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जब्तशुदा 40 बोरी (प्रत्येक 50 कि.ग्रा.) यूरिया में नीम ऑयल कंटेंट शून्य पाया गया है। जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि नीम ऑयल की मात्रा शून्य पाई गई। अर्थात् यह सामान्य औद्योगिक ग्रेड यूरिया है, जिसे औद्योगिक उपयोग हेतु रखना या प्रयोग करना उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन नहीं है। इसलिए यह उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन नहीं है और यह राजसात योग्य नहीं

है। इस कारण राजसात की कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है तथा उर्वरक निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अलवर (राज0) को यह निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा यूरिया उर्वरक के 40 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम वजन की सुपुर्दगीगार से नियमानुसार प्राप्त कर अप्रार्थी/फर्म मैसर्स M/S KSJN CHEMICALS PVT. LTD. A-321(B) MIA ALWAR के प्रतिनिधि श्री अनुज कुमार पुत्र श्री अनिल कुमार जाति महाजन पता एम.आई.ए., अलवर को सुपुर्द करावें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अलवर (राज0) को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)